प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 18.07.2021

थाना खुर्जानगर क्षेत्रांतर्गत घटित मां-बेटे की हत्या में संलिप्त हत्यारोपी मृतका का प्रेमी रेशमपाल गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2021 की रात्रि में थाना खुर्जानगर क्षेत्रांतर्गत किला रोड़ स्थित मौ0 मुरारीनगर में एक मकान से पडोसियों को दुर्गन्ध आने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मकान से एक 42 वर्षीय महिला रश्मि व उसके 24 वर्षीय पुत्र विनोद का शव सडी-गली अवस्था में बरामद किया गया था तथा दोनों शवों को कब्जे मे लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम आदि विधिक कार्यवाही की गयी थी। मृतका के पति जसवंत सिंह पुत्र जगपाल निवासी ग्राम रनायच थाना शिकारपुर बुलन्दशहर की तहरीर के आधार पर थाना खुर्जानगर पर मुअसं-848/21 धारा 302 भादवि बनाम रेशमपाल (कथित प्रेमी) पुत्र तेज सिंह निवासी मौ0 मुरारीनगर कस्बा व थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर श्री दीक्षित कुमार त्यागी को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना के आधार पर नामजद आरोपी रेशमपाल को आसाम राज्य के जनपद वक्शा थाना वर्मा क्षेत्र किराये के मकान से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- रेशमपाल पुत्र तेज सिंह निवासी मौ0 मुरारीनगर कस्बा व थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

घटना का विवरण- उपरोक्त घटना की विवेचना/कार्यवाही एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रेशमपाल आसाम राज्य के जनपद वक्शा थाना वर्मा क्षेत्र में स्थित पीएनबी बैंक में मैनेजर है जो नवम्बर-2020 से निलम्बित चल रहा है। रेशमपाल व मृतका रश्मि के मध्य करीब 12 वर्ष से अवैध संबंध थे। रेशमपाल द्वारा मृतका रश्मि के लिए कस्बा खुर्जा मौ0 मुरारीनगर में मकान बनवाया था जहां पर महिला रश्मि एवं उसका मंदबुद्धि पुत्र विनोद रहते थे। रेशमपाल द्वारा मकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये थे तथा उसे रश्मि के चरित्र पर संदेह था जिस कारण आवेश में आकर रेशमपाल द्वारा रश्मि व उसके पुत्र विनोद की गला दबाकर हत्या कर अपनी पत्नी के साथ आसाम चला गया था। दिनांक 13.07.2021 की रात्रि में पडोसियों द्वारा मकान से दुर्गन्ध आने की सूचना पुलिस को दी गयी थी जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मकान से दोनों के शवों को बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी थी।

अभियुक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- श्री दीक्षित कुमार त्यागी, प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर

2- अन्य कर्मचारीगण